UPSI120000692002

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ– सीतापुर।
पीठासीन अधिकारी(कुंवर दिव्यदर्शी)(उ०प्र०न्यायिक सेवा)UP3421
दाण्डिक वाद संख्या–69/2002

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन।

बनाम

01– अमर सिंह पुत्र राम सेवक वर्मा।
02– गौतम पुत्र राम सरन।
03– कौशल पुत्र राम सेवक वर्मा।
04– परवेश पुत्र राम सेवक वर्मा। (मृतक दौरान मुकदमा)
05– सन्तोष पुत्र राम सेवक वर्मा।
06– ओमकार पुत्र राम सेवक वर्मा, निवासीगण ग्राम रेवाली, मजरा भगवन्तपुर, थाना रामपुरकलाँ, जनपद सीतापुर। **................अभियुक्तगण।**

अपराध संख्या–202/2000
धारा–147, 323, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना रामपुरकलां, जनपद– सीतापुर।

निर्णय

वादी मुकदमा अजय कुमार, के द्वारा थाना रामपुरकलां, जनपद सीतापुर की पुलिस को दी गयी सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना रामपुरकलां की पुलिस द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण अमर सिंह, गौतम, कौशल, परवेश, सन्तोष व ओमकार के विरुद्ध अपराध संख्या–202/2000, अन्तर्गत धारा 147, 323, 504, 506 भा०दं०सं०, के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन कथानक अनुसार वादी मुकदमा अजय कुमार के द्वारा थाना रामपुरकलाँ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करवायी गयी कि प्रार्थी ग्राम रेवाली, थाना रामपुरकलां का निवासी है। प्रार्थी के खेत में छोटन्ने पुत्र साकिर अली के सांड़ को खेत में कर दिया और प्रार्थी का खेत चरने लगा, इतनें में प्रार्थी खेत पहुँचा और मना करने लगा। इतनें में गौतम पुत्र रामसरन, कौशल, परवेश, अमर सिंह पुत्रगण राम सेवक, सन्तोष पुत्र बांकेलाल, ओमकार पुत्र राम सेवक निवासी ग्राम रेवाली, एक राय होकर लाठी डण्डा लेकर आ गये और मुझे गाली गलौज करके दौड़ाया। मैं अपने घर भागा और मेरे दरवाजे पर घेरकर मुझे लाठी डण्डों से समय करीब 04.00 बजे शाम को मारने लगे। मुझे बचाने के लिए मेरे पिता शिव प्रसाद व माँ श्रीमती सुशीला देवी व बहन कु० नीलम दौड़ी तो उन्हें भी लाठी डण्डों से मारा पीटा। शोर गुल पर गाँव के अब्दुल रहमान पुत्र करीब व राम किशुन पुत्र गजोधर तथा गाँव के तमाम लोग आ गये जिन्होने घटना देखा तथा बीच बचाव किया, तब मुल्जिमान हम लोगों को मार पीट कर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। मार पीट से हम लोगों को चोटें आयी हैं। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेरी रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

वादी मुकदमा की उक्त तहरीर पर पुलिस थाना रामपुरकलां द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 202/2000, अन्तर्गत धारा 147, 323, 504, 506 भा०दं०सं० पंजीकृत कि गयी तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना का मानचित्र बनाया गया एवं घटना के गवाहों के बयान अंकित किये गये तथा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त अभियुक्तगण अमर सिंह, गौतम, कौशल, परवेश, सन्तोष व ओमकार के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 147, 323, 504, 506 भा०दं०सं० का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

Digitally signed by KUNWAR DIVYADARSHI
Date: 2026.06.11 17:56:08 IST
Reason: Document Owner
Location: In the court of civil judge junior division Biswan

अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा सम्मन के माध्यम से तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये तथा अपने जमानतनामें दाखिल किये। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्राप्त करायी गयीं।

दिनाँक 18.08.2004 को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 147, 323, 504, 506 भा०दं०सं० विरचित किये गये। विरचित किये गये आरोप को अभियक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने विरिचित किये गये आरोप से इंकार किया और विचारण की याचना की।

अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित करने हेतु मौखिक साक्षियों के रूप में निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया है।

क्रम०सं०	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार
1.	अजय कुमार	मुख्य तथा प्रति परीक्षा
	राम किशुन	मुख्य तथा प्रति परीक्षा

अभियोजन द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

क्रम०सं०	प्रलेख	प्रदर्श
1.	आरोप पत्र	–
2.	तहरीर	क[1]
3.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	–
4.	नक्शा नजरी	–
5.	मेडिकल एक्जामिनेशन रिपोर्ट शिव प्रसाद	–
6.	मेडिकल एक्जामिनेशन रिपोर्ट अजय कुमार	–
7.	मेडिकल एक्जामिनेशन रिपोर्ट सुशीला देवी	–
8.	मेडिकल एक्जामिनेशन रिपोर्ट नीलम	–

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन पक्ष के विभिन्न प्रलेख की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया।

अभियुक्त परवेश की मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध वाद की कार्यवाही समाप्त की गयी।

अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त दिनाँक 15.05.2026 को अभियुक्तगण का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत है, साक्षी पी०डब्लू० 1 राम किशुन व पी०डब्लू० 02 अजय कुमार के बयान के विषय में नहीं जानते, मुकदमा मारपीट का चला, बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना व और कुछ नहीं कहना है, कहा।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं तर्कों को विस्तार से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

साक्ष्य विश्लेषणः– न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 147, 323, 504, 506 भा०दं०सं० को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

साक्षी पी०डब्लू० 01 अजय कुमार ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि– घटना आज से लगभग 20 साल पहले समय दिन के अप्राह्न 4.00 बजे की है। मेरे खेत को सांड़ द्वारा चरे जाने की बात को लेकर अमर सिंह, गौतम, कौशल, परवेश, सन्तोष तथा ओमकार ने मुझे मेरे पिता शिव प्रसाद, माता सुशीला देवी व बहन नीलम के साथ मार पीट नहीं हुई थी। विपक्षीगण ने न तो गाली गलौज किया न ही जान से मारने की धमकी दी।

साक्षी को अभियोजन पक्ष के आवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन को जिरह की अनुमति प्रदान की गयी। अभियोजन द्वारा जिरह में साक्षी को धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने इंकार किया और साक्षी ने कहा कि मैंने दरोगा जी को अमर सिंह गौतम, कौशल, परवेश, सन्तोष व ओमकार का नाम नहीं बताया था। मैंने लोगों के उकसाने में आकर थाने में रिपोर्ट लिखा दी थई। मैं अपने खेत में विपक्षियों से बात चीत कर रहा था। वहां काफी लोग इकट्ठा थे। मुझे पीछे से किसी ने धक्का दे दिया था जिस से गिरने पर मुझे चोट आ गयी थी। धक्का देने वाले को मैं देख नहीं पाया था। यह कहना सही है कि मुल्जिमान से मेरा समझौता हो गया है लेकिन यह कहना गलत है कि मैं किसी दबाव में आकर बयान कर रहा हूँ।

साक्षी पी०डब्लू० 02 राम किशुन ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि– मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं सुबह 7:00 बजे घर से निकल जाता हूँ लगभग 6:00 बजे शाम को घर आता हूँ। मैंने कोई घटना नहीं देखी है। मैं आज से लगभग 24 साल पहले मैं मजदूरी का ही काम करता था। घटना की तारीख मुझे याद नहीं है। शाम को लगभग 6:00 बजे लौट कर आया था उस दिन मेरे गाँव में क्या घटना घटी थी मुझे नहीं पता। मेरे सामने मुलजिमान अमर सिंह गौतम, कौशल, प्रवेश, संतोष व ओमकार ने मेरे गाँव के रहने वाले अजय कुमार को न तो नाजायज बलवा बनाकर मारा पीटा था न उन्हें गाली दिया न उन्हें जान से मारने की धमकी दिया था। मुलजिमान मेरे ही गाँव के रहने वाले हैं। मेरी जानकारी में उनका कोई झगड़ा अजय कुमार से नहीं चलता है। दरोगा जी मुझसे कोई पूछताछ नहीं किया था। इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है जिरह की अनुमति दी जाती है। अभियोजन द्वारा जिरह में साक्षी को धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने इंकार किया कहा दरोगाजी को मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था यह कैसे लिख लिये इसकी वजह मैं नहीं बता सकता हूँ। यह कहना गलत है कि दिनांक 31.10.02 के शाम 4.00 बजे के लगभग मेरे सामने मुल्जिमान ने अजय कुमार को नाजायज बलवा बनाकर मारा पीटा गाली दिया जान से मारने धमकी दी। यह कहना गलत है कि मैं किसी लालच व धमकी के कारण न्यायालय में आज झूठी गवाही दे रहा हूँ।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि साक्षी पी०डब्लू० 01 अजय कुमार के द्वारा खुले न्यायालय में कथन किया गया है कि घटना आज से लगभग 20 साल पहले समय दिन के अप्राह्न 4.00 बजे की है। विपक्षीगण ने न तो गाली गलौज किया न ही जान से मारने की धमकी दी। इसके अतिरिक्त साक्षी पी०डब्लू० 2 राम किशुन ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि मैंने कोई घटना नहीं देखी है। मैं आज से लगभग 24 साल पहले मजदूरी का ही काम करता थी। घटना की तारीख मुझे याद नहीं है। अजय कुमार ने न तो नाजायज बलवा बनाकर मारा पीटा था न उन्हें गाली दिया न उन्हें जान से मारने की धमकी दिया था।

निष्कर्ष

पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि साक्षी पी०डब्लू० 01 अजय कुमार ने न्यायालय के समक्ष बयान दिया है कि विपक्षीगण ने न तो गाली गलौज किया न ही जान से मारने की धमकी दी। इसके अतिरिक्त साक्षी पी०डब्लू० 02 राम किशुन ने भी न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि घटना की तारीख मुझे याद नहीं है। अजय कुमार ने न तो नाजायज बलवा बनाकर मारा पीटा था न उन्हें गाली दिया न उन्हें जान से मारने की धमकी दिया था। साक्षी ने घटना को प्रमाणित होना नहीं बताया है। **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 134 के तहत** न्यायालय किसी व्यक्ति को केवल एक विश्वसनीय गवाह की गवाही के आधार पर दोषसिद्ध ठहरा सकती है, किन्तु उपरोक्त मामले में साक्षी अजय कुमार व राम किशुन ने अपने बयानों को समर्थन नहीं किया है। साक्षी पी०डब्लू० 01 व साक्षी पी०डब्लू० 02 के बयानों में स्पष्ट विरोधाभाष व कमियाँ हैं व सच्चाई को कोई अंश नहीं है। चिकित्सा आख्या रिपोर्ट शिव प्रसाद, चिकित्सा आख्या रिपोर्ट अजय कुमार, चिकित्सा आख्या रिपोर्ट सुशीला देवी व चिकित्सा आख्या रिपोर्ट नीलम के अवलोकन से प्रतीत होता है कि चिकित्सक द्वारा मत (Opinion) यह दिया गया है कि घाव किसी कठोर कुंद वस्तु (Hard and blunt object) से कारित किया गया है किन्तु साक्षी पी०डब्लू० 01 व 02 ने चिकित्सा आख्या का समर्थन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा आख्या मात्र

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है तथा इसको चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। उपरोक्त मामलें में गवाही चिकित्सा साक्ष्य के विपरीत है। साक्षी पी०डब्लू० 01 अजय कुमार के बयानों में दौरान प्रति परीक्षा यह उल्लेख किया गया है कि **विपक्षीगण से कोई झगड़ा नहीं हुआ था।** साक्षी पी०डब्लू० 02 विक्रम ने प्रति परीक्षा में उल्लेख किया है कि अजय कुमार ने न तो नाजायज बलवा बनाकर मारा पीटा था न उन्हें गाली दिया न उन्हें जान से मारने की धमकी दिया। गवाह के स्थान को लेकर **भौतिक विरोधाभाष** है। असंगत विसंगतियाँ हैं। (जब किसी एक गवाह के बयान न तो पूरी तरह विश्वसनीय हों और न ही पूरी तरह अविश्वसनीय की श्रेणी में आते हैं, तो न्यायालय स्पष्ट पुष्टि की माँग करता है।) उपरोक्त मामले में अभियोजन पक्ष पुष्टिकारक तथ्य या परिस्थितिय जन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है जिसका लाभ आरोपी को प्राप्त होता है।

पत्रावली पर साक्ष्य का सूक्ष्म अवलोकन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त यह निष्कर्ष प्रतीत होता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पर पूर्ण रूप से विश्वास करना सुरक्षित नहीं है और ऐसे साक्ष्य जो कि चिकित्सीय साक्ष्य एवं परिस्थितियों से सामंजस्य नहीं रखते है, को सजा का आधार बनाना एक भारी भूल होगी तथा अभियुक्त को संदेह का लाभ प्रदान करना ही समीचीन प्रतीत होता है।

चिकित्सा साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि चिकित्सा एक औपचारिक साक्ष्य होती है जो कारित हुई चोटों के सम्बंध में केवल अपना मत (Opinion) व्यक्त करता है। यह सही है कि ये चोटें अन्य कारणों से भी आ सकती हैं परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि अभियुक्त के मारने पीटने से यह चोटें आयीं। इस तर्क के सम्बंध में न्यायालय अभियोजन के मत से सहमत नहीं है तथा अभियोजन के कथनों में एवं चिकित्सा साक्ष्य में विरोधाभाष उत्पन्न होता है।

न्यायालय विशेषज्ञ रिपोर्ट मात्र से पदकार्य निवृत्त नहीं हो जाते(**Court not functus officio because of expert opinion**) न्यायालय पर विशेषज्ञ रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं होती है। विशेषज्ञ का कार्य एक राय तक ही सीमित है। मेडिकल साक्ष्य मात्र राय की साक्ष्य है और यह निर्णायक नहीं बन सकती है। **(मनीराम बनाम स्टेट आफ राजस्थान, ए०आई०आर० 1993 एस०सी० 2453)**

चिकित्सक द्वारा इस बावत केवल संभावना व्यक्त की गयी है। चूंकि चिकित्सक एक चश्मदीद साक्षी नहीं होता है केवल औपचारिक साक्षी होता है। इसलिए किसके द्वारा चोट कारित की गयी हैं इस बारे में कोई ब्यान नहीं दे सकता है केवल इतना बता सकता है कि ये चोटें किस प्रकार के हथियार से आ सकती है अथवा किस प्रकार से गिरने अथवा किसी चीज से टकराने अथवा किसी नुकीली चीज से टकराने से भी आ सकती है।

Ram Manohar and others Vs. State of U.P. – Criminal Appeal 2109 of 1980 September 27, 1999 (Allahabad High Court)–Criminal Trial–The prosecution story has been reconstructed and evidence has been attempted to be tailored– Prosecution evidence does not stand a close scrutiny– Therefore, accused are entitled to be benefit of doubt. Touching the different aspects of the case in the light of the judicious evaluation of the evidence on record, we are of the opinion that the prosecution story has been reconstructed and the evidence has been attempted to be tailored accordingly. But several unpatchable holes are visible and the evidence of the prosecution does not stand a close scrutiny. The ocular version also as discussed hereinabove. For the reasons contained in the discussion made hereinabove, we finally reach the conclusion that the prosecution case against the accused are entitled to the benefit of doubt.

Muneshwar Singh Vs. State OF U.P.– Reference No. 9 of 1999 and Cr. A. No. 1798 of 1999 May 10, 2000 (Allahabad High Court) Criminal Law– Jurisprudence– Settled law– Prosecution has to prove the guilt of accused beyond all reasonable doubt– Any number of culprits may go scot free but a single innocent person should not be punished. The well settled

law of criminal jurisprudence is that it is for the prosecution to prove the guilt of the accused beyond all reasonable doubt. The criminal jurisprudence follows the eternal principle that any number of culprits may go scot– free but not a single innocent person should be punished. The present case against the accused seems to be largely built on suspicion only. There fore, On over all consideration of the Evidence and Circumstances accused entiled to benefit of doubt.

Sitaram Seth and others Vs. State of U.P. [2014 (85) ACC 182] – Criminal Appeal 2758 of 1985, March 11, 2014 (Allahabad High Court) Burden of prosecution– Never shifts– No good reason advanced by the deceased in support of his plea of false implication– Cannot be a ground to hold him guilty– Burden always on the prosecution to establish it's case by adducing natural and reliable evidence.– For the aforesaid reasons we are of the view that the prosecution has been unable to produce cogent and reliable evidence for establishing the complicity of the crime.

Banne alias Baijnath and others Vs. State – Criminal Appeal 1358 of 1980, February, 2000, (Allahabad High Court) Well established principle – Onus of proving all the ingredients of an offence– Is always upon the prosecution– At no stage it shifts to the accused – Accused is to explain or controvert it only when this burden is discharged by prosecution. Before coming to the evidence which has been brought on record, we may first state that is is well established that the onus of proving all the ingredients of an offence is always upon the prosecution and at no stage the same shifts to the accused. It is only when this burden is discharged that it will be for the accused to explain or controvert the essential elements in the prosecution case which would negative. It is not for the accused at the initial stage to prove something which was to be eliminated by the prosecution to establish the ingredients of the offence with which the accused is charged, and even where the onus shifts upon the accused and the accused has to establish his plea, like the plea of self defence, the standard of proof is not the same as that which rests upon the prosecution. The standard of proof which the accused may discharg in support of his plea in defence is not the same which the prosecution is required to adhere and once the probability of the accused's plea is established he is entitled to the benefit of doubt.

अतः उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा गहनता से किये गये सम्यक परिशीलन से अभियोजन कथानक पर सन्देह से परे विश्वास नहीं किया जा सकता है। अत्यधिक विरोधाभाष साबित होता है जो कि सामान्य प्रकृति का नहीं है और उक्त साक्ष्य को भी विवेचक तथा चिकित्सक के प्रत्यक्ष साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है, जिसका लाभ अभियुक्त पाने का अधिकारी हैं। दाण्डिक विधि का प्रतिस्थापित सिद्धान्त है कि साक्ष्य का भार पूर्णतः अभियोजन पर होता है। अभियोजन को सन्देह से परे यह साबित करना होता है कि अभियुक्त द्वारा ही कथित अपराध कारित किया गया है और यदि अभियोजन द्वारा अपने कथानक को सन्देह से परे साबित नहीं किया जाता है तो अभियोजन की निर्बलता व कमियों का लाभ सदैव अभियुक्त को मिलता है। अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारण न्यायालय द्वारा तब तक की जाती है जब तक अभियोजन द्वारा अभियुक्त को दोषी साबित नहीं किया जाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था "हरिजना नारायण एवं अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य ए०एल०आर० 2003 ए०सी० 2851" में यह अभिनिर्धारित किया है कि "जब अभियोजन कथानक में विभिन्न स्तर पर विरोधाभाष दिखायी देता है और न्यायालय

की स्थिति असमंजस वाली हो जाती है तथा न्यायालय के लिये सत्यतता की खोज करना थोड़ा कठिनाई पूर्ण लगता है और सत्यतता की खोज करने में असमर्थ होते है और यह पाया जाता है कि सत्यतता और मिथ्यापन जटिल ढंग से मिश्रित हो गये हैं और वास्तव में उन्हें पृथक करना कठिन है तो ऐसे साक्ष्य को अस्वीकार किया जा सकता है।"

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य, ब्यानों में स्पष्ट विरोधाभाष साबित होता है जो कि सामान्य प्रकृति का नहीं है और न ही स्वाभाविक है। यह सही है कि सामान्य प्रकृति के विरोधाभाष से अभियोजन कथानक पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है परन्तु जहां यह विरोधाभाष असामान्य प्रकृति का हो और major contradictions हो तो ऐसी दशा में अभियोजन कथानक पर विश्वास नहीं किया जाना उचित व न्यायसंगत नहीं होता है।

अतः प्रस्तुत मुकदमे के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के अभिमत में अभियोजन पक्ष अपना केस सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है जिस कारण अभियुक्तगण **अमर सिंह, गौतम, कौशल, सन्तोष व ओमकार** लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>**आदेश**</u>

अभियुक्त **अमर सिंह, गौतम, कौशल, सन्तोष व ओमकार** को अपराध संख्या 202/2000, अन्तर्गत धारा 147, 323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना रामपुरकलाँ, जनपद सीतापुर, पर लगाये गये आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है। दौरान विचारण अभियुक्तगण जमानत पर थे। अभियुक्तगण के जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगणों को उनके दायित्वों से उनमोचित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा धारा 437A दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल की गयी जमानतें अग्रिम छः माह तक वैध रहेंगी, परन्तु अभियुक्तगण अपील के दौरान इन जमानतों पर निर्मुक्त किये जाने हेतु प्राधिकृत नहीं होंगे। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के पश्चात नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाये।

<u>दिनाँक 11.06.2026</u>

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ सीतपुर।

उपरोक्त निर्णय व आदेश आज दिनाँक 11.06.2026 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

<u>दिनाँक 11.06.2026</u>

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ सीतपुर।

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/–

निष्कर्ष

पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि साक्षी पी०डब्लू० 01 गुड्डू उर्फ कुद्दूस ने न्यायालय के समक्ष बयान दिया है कि मुल्जिमान ने मुझे माँ बहन की गालियां दी और मुझे बाँस के डंडे से मारे। मेरे सिर पर पहला डंडा लगा दूसरा हाथ पर लगा तीसरा डंडा बाएं हाथ

के ऊपर लगा। मौके पर रमजान, सियाराम आए। पहले घटना को देखा व मुल्जिम को डाँट कर भगाया। बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि **मैं अंगूठा छाप हूँ।** मैं हिंदी नहीं जानता हूँ। प्रति परीक्षा में साक्षी ने घटना को प्रमाणित होना नहीं बताया है। **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 134 के तहत** न्यायालय किसी व्यक्ति को केवल एक बिसवाँसनीय गवाह की गवाही के आधार पर दोषसिद्ध ठहरा सकती है, किन्तु उपरोक्त मामले में साक्षी गुड्डू ने प्रति परीक्षा में अपने बयानों को समर्थन नहीं किया है व यह बताया है कि संजय के घर से मेरे घर की दूरी 01 कि०मी० है। साक्षी पी०डब्लू० 01 के बयानों में स्पष्ट विरोधाभाष व कमियाँ हैं व सचाई को कोई अंश नहीं है क्योंकि गवाही के दौरान मौके पर रमजान व शियाराम का होना बताया गया है परन्तु दोनों में से किसी भी व्यक्ति द्वारा न्यायालय के समक्ष घटना के सम्बन्ध में बयान दर्ज नहीं कराया गया है। चिकित्सा आख्या रिपोर्ट गुड्डू के अवलोकन से प्रतीत होता है कि चिकित्सक द्वारा मत (Opinion) यह दिया गया है कि घाव किसी कठोर कुंद वस्तु (Hard and blunt object) से कारित किया गया है किन्तु साक्षी पी०डब्लू० 01 ने चिकित्सा आख्या का समर्थन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा आख्या मात्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है तथा इसको चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। उपरोक्त मामले में एकमात्र गवाह की गवाही संदिग्ध प्रतीत होती है व किसी अन्य गवाहों से समर्थित नहीं है। एकमात्र गवाह की गवाही को पुष्ट करने के लिए सहायक साक्ष्यों (Supporting evidence) की आवश्यकता होती है जिसे अभियोजन पक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहा है। उपरोक्त मामलें में गवाही चिकित्सा साक्ष्य के विपरीत है। साक्षी पी०डब्लू० 01 गुड्डू के बयानों में दौरान प्रति परीक्षा यह उल्लेख किया गया है कि **मेरे गाँव मतिकरपुर और संजय के गाँव सरैयां मिर्जापुर इन दोनों की दूरी 1 कि०मी० से कम दूरी है। 1 कि०मी में कितने मीटर होते हैं मैं नहीं जानता।** गवाह के स्थान को लेकर **भौतिक विरोधाभाष** है। असंगत विसंगतियाँ हैं। (जब किसी एक गवाह के बयान न तो पूरी तरह बिसवाँसनीय हों और न ही पूरी तरह अबिसवाँसनीय की श्रेणी में आते हैं, तो न्यायालय स्पष्ट पुष्टि की माँग करता है।) उपरोक्त मामले में अभियोजन पक्ष पुष्टिकारक तथ्य या परिस्थितिय जन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है जिसका लाभ आरोपी को प्राप्त होता है।

पत्रावली पर साक्ष्य का सूक्ष्म अवलोकन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त यह निष्कर्ष प्रतीत होता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पर पूर्ण रूप से विश्वास करना सुरक्षित नहीं है और ऐसे साक्ष्य जो कि चिकित्सीय साक्ष्य एवं परिस्थितियों से सामंजस्य नहीं रखते है, को सजा का आधार बनाना एक भारी भूल होगी तथा अभियुक्तगण को संदेह का लाभ प्रदान करना ही समीचीन प्रतीत होता है।

चिकित्सा साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि चिकित्सा एक औपचारिक साक्ष्य होती है जो कारित हुई चोटों के सम्बंध में केवल अपना मत (Opinion) व्यक्त करता है। यह सही है कि ये चोटें अन्य कारणों से भी आ सकती हैं परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि अभियुक्तगण के मारने पीटने से यह चोटें आयीं। इस तर्क के सम्बंध में न्यायालय अभियोजन के मत से सहमत नहीं है तथा अभियोजन के कथनों में एवं चिकित्सा साक्ष्य में विरोधाभाष उत्पन्न होता है।

न्यायालय विशेषज्ञ रिपोर्ट मात्र से पदकार्य निवृत्त नहीं हो जाते(Court not functus officio because of expert opinion) न्यायालय पर विशेषज्ञ रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं होती है। विशेषज्ञ का कार्य एक राय तक ही सीमित है। मेडिकल साक्ष्य मात्र राय की साक्ष्य है और यह निर्णायक नहीं बन सकती है। **(मनीराम बनाम स्टेट आफ राजस्थान, ए०आई०आर० 1993 एस०सी० 2453)**

चिकित्सक द्वारा इस बावत केवल संभावना व्यक्त की गयी है। चूंकि चिकित्सक एक चश्मदीद साक्षी नहीं होता है केवल औपचारिक साक्षी होता है। इसलिए किसके द्वारा चोट कारित की गयी हैं इस बारे में कोई ब्यान नहीं दे सकता है केवल इतना बता सकता है कि ये चोटें किस प्रकार के हथियार से आ सकती है अथवा किस प्रकार से गिरने अथवा किसी चीज से टकराने अथवा किसी नुकीली चीज से टकराने से भी आ सकती है।

Ram Manohar and others Vs. State of U.P. – Criminal Appeal 2109 of 1980 September 27, 1999 (Allahabad High Court)–Criminal Trial–The

prosecution story has been reconstructed and evidence has been attempted to be tailored– Prosecution evidence does not stand a close scrutiny– Therefore, accused are entitled to be benefit of doubt. Touching the different aspects of the case in the light of the judicious evaluation of the evidence on record, we are of the opinion that the prosecution story has been reconstructed and the evidence has been attempted to be tailored accordingly. But several unpatchable holes are visible and the evidence of the prosecution does not stand a close scrutiny. The ocular version also as discussed hereinabove. For the reasons contained in the discussion made hereinabove, we finally reach the conclusion that the prosecution case against the accused are entitled to the benefit of doubt.

Muneshwar Singh Vs. State OF U.P.– Reference No. 9 of 1999 and Cr. A. No. 1798 of 1999 May 10, 2000 (Allahabad High Court) Criminal Law– Jurisprudence– Settled law– Prosecution has to prove the guilt of accused beyond all reasonable doubt– Any number of culprits may go scot free but a single innocent person should not be punished. The well settled law of criminal jurisprudence is that it is for the prosecution to prove the guilt of the accused beyond all reasonable doubt. The criminal jurisprudence follows the eternal principle that any number of culprits may go scot– free but not a single innocent person should be punished. The present case against the accused seems to be largely built on suspicion only. There fore, On over all consideration of the Evidence and Circumstances accused entiled to benefit of doubt.

Sitaram Seth and others Vs. State of U.P. [2014 (85) ACC 182] – Criminal Appeal 2758 of 1985, March 11, 2014 (Allahabad High Court) Burden of prosecution– Never shifts– No good reason advanced by the deceased in support of his plea of false implication– Cannot be a ground to hold him guilty– Burden always on the prosecution to establish it's case by adducing natural and reliable evidence.– For the aforesaid reasons we are of the view that the prosecution has been unable to produce cogent and reliable evidence for establishing the complicity of the crime.

Banne alias Baijnath and others Vs. State – Criminal Appeal 1358 of 1980, February, 2000, (Allahabad High Court) Well established principle – Onus of proving all the ingredients of an offence– Is always upon the prosecution– At no stage it shifts to the accused – Accused is to explain or controvert it only when this burden is discharged by prosecution. Before coming to the evidence which has been brought on record, we may first state that is is well established that the onus of proving all the ingredients of an offence is always upon the prosecution and at no stage the same shifts to the accused. It is only when this burden is discharged that it will be for the accused to explain or controvert the essential elements in the prosecution case which would negative. It is not for the accused at the initial stage to prove something which was to be eliminated by the prosecution to establish the ingredients of the offence with which the accused is charged, and even where the onus shifts upon the accused and the accused has to establish his plea, like the plea of self defence, the standard of proof is not the same as that which rests upon the prosecution. The standard of proof which the accused may discharg in support of his plea in defence is not the same which the prosecution is required to adhere

and once the probability of the accused's plea is established he is entitled to the benefit of doubt.

अतः उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा गहनता से किये गये सम्यक परिशीलन से अभियोजन कथानक पर सन्देह से परे विश्वास नहीं किया जा सकता है। अत्यधिक विरोधाभाष साबित होता है जो कि सामान्य प्रकृति का नहीं है और उक्त साक्ष्य को भी विवेचक तथा चिकित्सक के प्रत्यक्ष साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है, जिसका लाभ अभियुक्तगण पाने का अधिकारी हैं। दाण्डिक विधि का प्रतिस्थापित सिद्धान्त है कि साक्ष्य का भार पूर्णतः अभियोजन पर होता है। अभियोजन को सन्देह से परे यह साबित करना होता है कि अभियुक्तगण द्वारा ही कथित अपराध कारित किया गया है और यदि अभियोजन द्वारा अपने कथानक को सन्देह से परे साबित नहीं किया जाता है तो अभियोजन की निर्बलता व कमियों का लाभ सदैव अभियुक्तगण को मिलता है। अभियुक्तगण के निर्दोष होने की उपधारण न्यायालय द्वारा तब तक की जाती है जब तक अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण को दोषी साबित नहीं किया जाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था "हरिजना नारायण एवं अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य ए०एल०आर० 2003 ए०सी० 2851" में यह अभिनिर्धारित किया है कि "जब अभियोजन कथानक में विभिन्न स्तर पर विरोधाभाष दिखायी देता है और न्यायालय की स्थिति असमंजस वाली हो जाती है तथा न्यायालय के लिये सत्यतता की खोज करना थोड़ा कठिनाई पूर्ण लगता है और सत्यतता की खोज करने में असमर्थ होते है और यह पाया जाता है कि सत्यतता और मिथ्यापन जटिल ढंग से मिश्रित हो गये हैं और वास्तव में उन्हें पृथक करना कठिन है तो ऐसे साक्ष्य को अस्वीकार किया जा सकता है।"

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य, ब्यानों में स्पष्ट विरोधाभाष साबित होता है जो कि सामान्य प्रकृति का नहीं है और न ही स्वाभाविक है। यह सही है कि सामान्य प्रकृति के विरोधाभाष से अभियोजन कथानक पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है परन्तु जहां यह विरोधाभाष असामान्य प्रकृति का हो और major contradictions हो तो ऐसी दशा में अभियोजन कथानक पर विश्वास नहीं किया जाना उचित व न्यायसंगत नहीं होता है।

अतः प्रस्तुत मुकदमे के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के अभिमत में अभियोजन पक्ष अपना केस सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है जिस कारण अभियुक्तगण **राम चन्द्र** लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **राम चन्द्र** को अपराध संख्या 202/2000, अन्तर्गत धारा 147, 323, 504, 506 504 भा०दं०सं०, थाना रामपुरकलां, जनपद सीतापुर, पर लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। दौरान विचारण अभियुक्तगण जमानत पर था। अभियुक्तगण के जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगणों को उनके दायित्वों से उनमोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437A दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल की गयी जमानतें अग्रिम छः माह तक वैध रहेंगी, परन्तु अभियुक्तगण अपील के दौरान इन जमानतों पर निर्मुक्त किये जाने हेतु प्राधिकृत नहीं होगा। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के पश्चात नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाये।

<u>दिनाँक 09.06.2026</u> **(कुंवर दिव्यदर्शी)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ सीतापुर।

उपरोक्त निर्णय व आदेश आज दिनाँक 09.06.2026 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

<u>दिनाँक 09.06.2026</u> **(कुंवर दिव्यदर्शी)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट

बिसवाँ सीतपुर।

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/–